

प्रकरण संख्या 34 / 2020(2020 / 00128)

1. बदाम देवी पुत्री नाथू धोबी निवासी ग्राम पारा तह.केकडी हाल मुकाम जयपुर जिला जयपुर
2. बसन्ती पुत्री नाथू धोबी निवासी ग्राम पारा तह.केकडी जिला अजमेर हाल मुकाम जयपुर जिला जयपुर
3. सायरी देवी पुत्री नाथू धोबी निवासी ग्राम पारा तह.केकडी हाल मुकाम बाढी गोयला जिला अजमेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राज.अधि.

उपस्थित- बदाम देवी पुत्री नाथू धोबी वगै:- प्रार्थीया

तहसीलदार केकडी:- परोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 08.10.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया का कथन है कि ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी सवत 2069-72 के खाता स. नयापुराना 164-814 खसरा नम्बर 2510 रकबा 0.9600 बारांनी प्रथम, ग्राम पारा की जमाबन्दी सवत 2069-72 खाता स. नयापुराना 876-813 किता 3 कुल रकबा 1.4900 है, खाता स. नयापुराना 817-814 कुल किता 4 कुल रकबा 4.1300 है. में प्रार्थीया बदाम, बसन्ती और सायरी का नाम बदाम का नाम मनी, बसन्ती का नाम बस्ती, सायरी का नाम काली दर्ज कर दिया गया है, जिसे सही कर दुरुस्त करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 8.6.2020 को उत्पन्न हुआ, तभी से लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी परोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र में चाहे जाने अनुसार तहसीलदार केकडी द्वारा अनुशंका की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज शपथपत्र, सहमति पत्र सहखातेदार जो 100 रुपये के शपथ पत्र नॉनज्यूडीशल स्टाम्प पत्र नोटिरी से तरदीकशुदा है, में भी प्रार्थना पत्र अनुसार अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। ग्राम पचायत पारा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 8.6.2020 द्वारा भी प्रार्थना पत्र में अंकित कथन को दोहराया गया है। आधारकार्ड, से भी प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी सवत 2069-72 के खाता स. नयापुराना 164-814 खसरा नम्बर 2510 रकबा 0.9600 बारांनी प्रथम, ग्राम पारा की जमाबन्दी सवत 2069-72 खाता स. नयापुराना 876-813 किता 3 कुल रकबा 1.4900 है, खाता स. नयापुराना 817-814 कुल किता 4 कुल रकबा 4.1300 है. में प्रार्थीया मनी के स्थान पर बदाम, बस्ती के स्थान पर बसन्ती, काली के स्थान पर सायरी के नाम का अंकन किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

केकडी (अजमेर)

दिनांक

कमांक/सम/2021/

प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार केकडी को आदेशानुसार पालना हेतु प्रेषित है।

2. बदाम देवी पुत्री नाथू धोबी निवासी ग्राम पारा तह.केकडी हाल मुकाम जयपुर जिला जयपुर

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी

केकडी (अजमेर)

08/10/2021

1. बदाम देवी पुत्री नाथू धोबी निवासी ग्राम पारा तह.केकडी हाल मुकाम जयपुर जिला जयपुर
2. बसन्ती पुत्री नाथू धोबी निवासी ग्राम पारा तह.केकडी जिला अजमेर हाल मुकाम जयपुर जिला जयपुर
3. सायरी देवी पुत्री नाथू धोबी निवासी ग्राम पारा तह.केकडी हाल मुकाम बाटी गोयला जिला अजमेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

अन्तर्गत धारा 136 राज.मू.राज.अधि.

उपस्थित:- बदाम देवी पुत्री नाथू धोबी वगै:- प्रार्थीया

तहसीलदार केकडी:- परोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 08.10.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया का कथन है कि ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी सवत 2069-72 के खाता स. नयापुराना 164-814 खसरा नम्बर 2510 रकबा 0.9600 बारानी प्रथम, ग्राम पारा की जमाबन्दी सवत 2069-72 खाता स. नयापुराना 876-813 किता 3 कुल रकबा 1.4900 है., खाता स. नयापुराना 817-814 कुल किता 4 कुल रकबा 4.1300 है. में प्रार्थीया बदाम, बसन्ती और सायरी का नाम बदाम का नाम मनी, बसन्ती का नाम बस्ती, सायरी का नाम काली दर्ज कर दिया गया है, जिसे सही कर दुरुस्त करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 8.6.2020 को उत्पन्न हुआ, तमी से लगातार उत्पन्न हो रहा है। प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी परोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र में चाहे जाने अनुसार तहसीलदार केकडी द्वारा अनुशंषा की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज शपथपत्र, सहमति पत्र सहखातेदार जो 100 रूपये के शपथ पत्र नॉनज्यूडीशल स्टाम्प पत्र नोटिरी से तस्दीकशुदा है, में भी प्रार्थना पत्र अनुसार अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। ग्राम पचायत पारा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 8.6.2020 द्वारा भी प्रार्थना पत्र में अंकित कथन को दोहराया गया है। आधारकार्ड, से भी प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी सवत 2069-72 के खाता स. नयापुराना 164-814 खसरा नम्बर 2510 रकबा 0.9600 बारानी प्रथम, ग्राम पारा की जमाबन्दी सवत 2069-72 खाता स. नयापुराना 876-813 किता 3 कुल रकबा 1.4900 है., खाता स. नयापुराना 817-814 कुल किता 4 कुल रकबा 4.1300 है. में प्रार्थीया मनी के स्थान पर बदाम, बस्ती के स्थान पर बसन्ती, काली के स्थान पर सायरी के नाम का अंकन किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम में सुनाया गया।

08/10/2021

उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)